न्यायालय

पीठासीन अधिका

अनवान :– प्रकर

गुरपि
निवास

1. ज
(
2. ना
(
3. ए
त
4. रा

प्रार्थना
228 है

उपस्थि
1. श्री
2. श्री

संक्षेप र
अन्तर्गत धारा 212 अ
स्व0 अजमेरसिंह के
दर्ज थी। प्रार्थीया के
जमाबंदी सम्वत् 207
हैक्टयर भूमि है जिस
को विरास्तन में अपने
जिसमें प्रार्थीया का
अधिकारी है। वादग्र
संख्या 1 व 2 संयुक्त
संयुक्त हिन्दु परिवार
कोपाश्नर अप्रार्थी सं
अप्रार्थीगण संख्या 0
करवाने के अधिकारी
व्यक्ति है जिसे अप्राः
वर्णित कृषि भूमि के
करने की फिराक में
तथा प्रार्थीया को ना
हिस्सा है जिसे प्राप्त
मारने की गर्ज से अ
अप्रार्थी सं0 1 अपने
मामला व सुविधा क
इस आश्य की अस्थ
तरह से रहन बैय अ
को कई दफा कहा
वादग्रस्त भूमि रहन
रोज पूर्व मुकाम 2 क
प्रार्थना पत्र श्रीमान्
प्रार्थना पत्र के साथ
पेश किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :– प्रकरण संख्या 63 (ए) सन् 2017

गुरपिन्द्र कौर पुत्री जसवंतसिंह पत्नी सुखचैनसिंह जाति जटसिख
निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। – प्रार्थी

बनाम

1. जसवंतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 2 के.के.डब्ल्यू (नवां) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. नाजमसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 2 के.के.डब्ल्यू (नवां) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रार्थना पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत आराजी चक 2 केकेडब्ल्यू तादादी 2.228 हैक्टयर बरूवे रिकार्ड व श्हादत हर किस्म।

उपस्थित :–
1. श्री लालचंद देवर्थ। अभिभाषक प्रार्थीया।
2. श्री सुखपालसिंह। अभिभाषक अप्रार्थीगण नं. 1 व 2

निर्णय दिनांक :– 4/18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने दिनांक 11.05.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थीया के दादा स्व0 अजमेरसिंह के नाम से चक 2 के.के.डब्ल्यू. में कुल 2.228 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया के दादा के फौत होने पर जसवंतसिंह के नाम से चक 02 केकेडब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 74 के खाता संख्या 79/76 की संयुक्त खाता की भूमि में से 2.228 हैक्टयर भूमि है जिसमें से प्रार्थीया 1/3 हिस्सा बहिव के अनुसार हकदार है। प्रार्थीया के दादा को विरास्तन में अपने पिता से प्राप्त हुई है व उक्त भूमि संयुक्त परिवाद की जददी जायदाद है। जिसमें प्रार्थीया का बतौर कोपासर जन्म से हक व हिस्सा है जिसे प्रार्थीया प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जददी जायदाद है व प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व प्रार्थीया उक्त संयुक्त जददी जायदाद में बतौर कोपाश्नर अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से बहिस्सा बराबर प्रार्थीया 1/3 हिस्सा के व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीया का पिता है जो कि सीधा–सादा व अनपढ़ व्यक्ति है जिसे अप्रार्थी सं0 2 अपने बहकावे में लेकर तथा नाजायज दबाव बनाकर उक्त सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है। जिससे प्रार्थीया के हक व अधिकारों पर प्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीया का उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है जिसे प्राप्त करने की प्रार्थीया अधिकारी है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का हिस्सा मारने की गर्ज से अपने नाम से दर्ज भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बैय बरने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने आश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरह से रहन बैय अथवा अन्य किसी भी तरह से मुन्तकिल ना करे। प्रार्थीया ने अप्रार्थीया नं. 1 को कई दफा कहा कि वह प्रार्थीया को उसके हक व हिस्सा की भूमि नाम करवा दे एवं वादग्रस्त भूमि रहन बैय करने से बाज रहे पहले तो वह टाल मटोल करता रहा। आखिर 10 रोज पूर्व मुकाम 2 के.के.डब्ल्यू. में स्पष्ट इन्कार हो गया। यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के साथ में चित्रप्रति नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, चित्रप्रति आधारकार्ड इत्यादि पेश किये गये।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दिनांक 12.05.2017 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 07.07.2017 तक रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखने बावत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 01.11.2017 को अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 की ओर से

लगातार 2

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

र्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थीया दादा के नाम से इस चक में कोई भूमि नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की स्वंय अर्जित कृषि भूमि है। प्रार्थीया ने जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने के आश्य से सन् 1955 से 58 की जमाबंदी संलग्न है। अपने प्रार्थना पत्र को कानूनी रंग देने की गर्ज से पैतृक भूमि होना मेथया अंकित किया है।

प्रकरण से संबंधित वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थीया अपने माता–पिता के कहने सुनने में नहीं होने के कारण प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.03.2016 को दैनिक अखबार सीमा सन्देश की विज्ञप्ति के द्वारा अपनी तमाम चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया था। बेदखली सूचना की फोटोस्टेट प्रति सलग्न है। प्रार्थीया ने अपनी शादी अपने परिवारजनों की सहमति के बिना व रीति रिवाजों से हटकर अर्न्तजातीय विवाह कुम्हार समुदार के व्यक्ति के साथ सम्पन्न करवाया था और जिस संबंध में पुलिस थाना में प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के विरूद्ध झूठा प्रार्थना पत्र के जरिये धारा 107, 116(3) सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार ने माननीय अपर सेंशन न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ में दिनांक 04.05.2016 को पारित आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट टिब्बी के विरूद्ध फौजदारी निगरानी संख्या 50/16 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी जसवन्तसिंह आदि की तरफ से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट टिब्बी आदेश को अपास्त कर दिया। निगरानी आदेश संलग्न जवाब है। हस्तगत लिया गया स्थगन आदेश अप्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा मानसिक यातनाएं देने के उद्देश्यों से गलत तथ्यों पर आधारित प्राप्त किया है जो काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 13.05.1980 को चक नं. 2 के.के.डब्ल्यू. के मु.नं. 145/206 के किला नं. 1,2 व 3 में 1/2 हिस्सा 10,500/– रूपयों में खरीद किया। विक्रेता सादक अली पुत्र श्री गुलाम रसूल जाति मुसलमान (लबाणा) निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा निष्पादित बैयनामा की फोटोस्टेट प्रति संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है और 04.05.1979 को अप्रार्थी सं. 1 ने विक्रेता इमामदीन पुत्र मुरादअली जाति मुसलमान (लबाणा) निवासी किकरवाली तहसील संगरिया से इसी चक मु.नं. 145/05 के किला नं. 24 व प.नं. 145/206 मु.नं. 6 के किला नं. 4, 7 ता 10 कुल 6 बीघा में से 3 बीघा कृषि भूमि खरीद की जिसकी फोटोस्टेट प्रति बैयनामा की फोटोस्टेट प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को कानूनी रंग दिये जाने की गर्ज से न्यायालय को गुमराह करते हुए विधि विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है और जद्दी जायदाद होना गलत अंकित किया है, इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र झूठे मनगढ़त व साजिशाना द्वेस पूर्ण तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि अपनी मेहनत की कमाई से खरीद की हुई है खरीदशुदा सम्पत्ति के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं। इससे प्रार्थी विधि अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकार झूठे तथ्यों पर आधारित स्थगन आदेश प्रार्थी के अधिकारों के प्रति प्रभावहीन है जो अविलम्ब निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्थगन आदेश दिनांक 01.05.2017 खारिज फरमाया जावे। जवाब की ताईद में फोटोस्टेट अखबार प्रति, आदेश निगरानी संख्या 50/16, चित्रप्रति बैयनामा सादक अली बहक जसवंतसिंह दिनांक 13.05.80 व इमामदीन बहक जसवंतसिंह दिनांक 04.05.1979 व इन्तकाल संख्या 217 की चित्रप्रति आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण नं. 3 व 4 फार्मल पक्षकार है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं. 1 की खरीदशुदा खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीया ने ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद भूमि है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में पूर्णता साबित है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दिनांक 04.01.2018 को प्रकरण में बहस सुने जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीया स्वंय द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी जसवंतसिंह के नाम खातेदारी दर्ज कागजात है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बैयनामा इत्यादि से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि जसवंतसिंह की खरीदशुदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त किसके पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं. 1 की खरीदशुदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि होना प्रमाणित है। प्रार्थीया ने ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। इस प्रकार पृथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल खारिज है। अतः दिनांक 12.05.2017 को जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक 4-7-18 को बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner